

पत्रांक : जे.सी.ई.आर.टी./वि.04-125/2022/.....१५

राँची,

दिनांक ०२/११/२०२२

प्रेषक,

किरण कुमारी पारी, भा.प्र.से.  
निदेशक, जे.सी.ई.आर.टी. राँची।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक,  
झारखण्ड।

विषय : झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत संचालित मान्यता प्राप्त राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय शिक्षण-प्रशिक्षण (सत्र 2023-25) हेतु वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 13.04.2022 को सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक की कार्यवाही की कंडिका क(3) में राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्न निर्णय लिये गये थे -

**डायट के शैक्षणिक सत्रों में भिन्नता** - “डायट के शैक्षणिक सत्रों में भिन्नता को एक समान करने हेतु निदेशित किया गया। तत्काल क्षेत्र स्तर पर नामांकन प्रक्रिया स्थगित किया जाय एवं जे.सी.ई.आर.टी के स्तर से एक समान शैक्षणिक सत्र निर्धारित करते हुए संबंधित को सूचित किया जाय। आवश्यक हो तो शैक्षणिक अवधि को पूरा करने के लिए कक्षाएँ दो पाली में संचालित की जा सकती है।”

उक्त निर्णय के अनुपालन में कार्यालय के पत्रांक 466 दिनांक 02.06.2022 के द्वारा सभी प्राचार्यों को निम्न निदेश दिये जा चुके हैं-

1. विभिन्न प्रमण्डलों में संचालित डायट/पी.टी.ई.सी. में डी.एल.एड में नामांकन की तिथि भिन्न-भिन्न है जिसके कारण सत्रावसान की अवधि प्रावधान के अनुसार भिन्न-भिन्न हो रही है। इसी बिन्दु को दृष्टिपथ में रखते हुए बैठक में निर्णय लिया गया है कि शैक्षणिक अवधि को पूरा करने के लिए कक्षाएँ एक से अधिक पाली में आयोजित किया जाय। यदि संभव हो तो संस्थान के लिए निर्धारित अवकाश की अवधि में भी अतिरिक्त कक्षाएँ आयोजित की जाय।
2. जे.सी.ई.आर.टी, राँची के द्वारा राज्य में संचालित सभी डायट/ पी.टी.ई.सी. के लिए एक अकादमिक कैलेंडर तैयार किया गया है जिसे सभी प्राचार्यों को उक्त पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराया जा चुका है। उक्त कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण सत्र 2017-19 को 30 जून 2022 तक, प्रशिक्षण सत्र 2018-20 को 30 सितम्बर 2022 तक एवं प्रशिक्षण सत्र 2019-21 को 31 मार्च 2023 तक पूरा किया जाना है।

बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत संचालित मान्यता प्राप्त राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय शिक्षण-प्रशिक्षण (सत्र 2023-25) हेतु जे.सी.ई.आर.टी के द्वारा एक वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया गया है जिसे पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। यह वार्षिक कैलेंडर सभी निजी एवं अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

अनुरोध है कि संलग्न वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर के आलोक में अद्येतर कार्रवाई ससमय की जाय तथा उक्त वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर को अपने क्षेत्राधीन निजी/ अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों को भी अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,  
(किरण कुमारी पारी)  
निदेशक, जे.सी.ई.आर.टी. राँची।

## कार्यालय : झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत संचालित मान्यता प्राप्त राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय शिक्षण प्रशिक्षण (सत्र: 2023-25) हेतु वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर

क्र.	गतिविधि	उत्तरदायी	निर्धारित तिथि
1	विभागीय पत्रांक 1382, दिनांक 20.05.2004, पत्रांक 2102, दिनांक 28.07.2004, पत्रांक 236, दिनांक 25.06.2006, संकल्प संख्या 1386, दिनांक 03.08.2012, पत्रांक 1684, दिनांक 17.09.2013, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखण्ड के पत्रांक 6191 दिनांक 09.11.2002 एवं पत्रांक 1072, दिनांक 17.02.2009, संकल्प संख्या 3198 दिनांक 18.04.2016, संकल्प संख्या 5671 दिनांक 04.07.2016, संकल्प सं 2249 दिनांक 03.04.2018 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य पत्र/परिपत्र को दृष्टिपथ में रखते हुए नामांकन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की अंतिम तिथि	संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक	15.03.2023 तक
2	निबधित/स्पीड पोस्ट के माध्यम से नामांकन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	-तथैव-	16.03.2023 से 31.03.2023 के अपराह्न 5:00 बजे तक
3	जिला के अधिकारिक वेबसाईट(एनआईसी) पर ऑपबधिक मेधासूची तैयार कर अपलोड करना तथा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करना।	-तथैव-	15.04.2023 तक
4	प्रकाशित ऑपबधिक मेधासूची पर दावा/ आपत्ति प्राप्त करने की तिथि	-तथैव-	16.04.2023 से 20.04.2023 तक
5	आपत्ति निराकरण कर अंतिम मेधा सूची प्रकाशन की तिथि	-तथैव-	30.04.2023 तक
6	नामांकन हेतु प्रथम मेधासूची का प्रकाशन(संस्थान में उपलब्ध सीट के अनुसार) की अंतिम तिथि	-तथैव-	10.05.2023 तक
7	महाविद्यालय द्वारा प्रथम मेधासूची के आधार पर नामांकन की तिथि	संबंधित महाविद्यालय/ डायट	17.05.2023 से 25.05.2023 तक
8	नामांकन हेतु द्वितीय मेधासूची का प्रकाशन, यदि आवश्यक हो तो (प्रथम मेधासूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को छोड़कर)	संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक	31.05.2023 तक
9	महाविद्यालय द्वारा द्वितीय मेधासूची के आधार पर नामांकन की तिथि	संबंधित महाविद्यालय/ डायट	05.06.2023 से 10.06.2023 तक

गतिविधि

उत्तरदायी

निर्धारित तिथि

नामांकन हेतु तृतीय मेधासूची का प्रकाशन, यदि आवश्यक हो तो (प्रथम एवं द्वितीय मेधासूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को छोड़कर)

संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक

14.06.2023 तक

11 महाविद्यालय द्वारा तृतीय मेधासूची के आधार पर नामांकन की तिथि

संबंधित महाविद्यालय / डायट

19.06.2023 से 24.06.2023 तक

12 नामांकन हेतु अन्तिम मेधासूची का प्रकाशन, यदि आवश्यक हो तो (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मेधासूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को छोड़कर)

संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक

26.06.2023 तक

13 अन्तिम मेधासूची के आधार पर नामांकन की तिथि

संबंधित महाविद्यालय / डायट

29.06.2023 से 30.06.2023 तक

14 नामांकित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/कार्यालय को भेजने की तिथि

-तथैव-

01.07.2023 से 10.07.2023 तक

15 सत्र प्रारंभ होने की तिथि

-तथैव-

01.07.2023

16 प्रथम सत्रांत (Semester) की परीक्षा की तिथि

-तथैव-

15.12.2023 से 23.12.2023 तक

17 द्वितीय सत्रांत (Semester) प्रारंभ होने की तिथि

-तथैव-

02.01.2024

18 द्वितीय सत्रांत (Semester) की परीक्षा की तिथि

-तथैव-

15.06.2024 से 23.06.2024 तक

19 तृतीय सत्रांत (Semester) प्रारंभ होने की तिथि

-तथैव-

01.07.2024

20 तृतीय सत्रांत (Semester) की परीक्षा की तिथि

-तथैव-

14.12.2024 से 22.12.2024 तक

21 चतुर्थ सत्रांत (Semester) प्रारंभ होने की तिथि

-तथैव-

02.01.2025

22 चतुर्थ सत्रांत (Semester) की परीक्षा की तिथि

-तथैव-

15.06.2025 से 23.06.2025 तक

नोट : झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत अवस्थित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त निजी एवं अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों पर भी उपरोक्त वार्षिक कैलेंडर लागू होंगे। इस निमित्त विज्ञापन का प्रकाशन, मेधा सूची का निर्माण आदि का कार्य पूर्व की भांति वे अपने स्तर से करेंगे।

बाँके बिहारी सिंह  
सहायक निदेशक (अ०)